न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ।९८-९९। निगरानी अपील 5000 102

प्र० क० 990367

A 367 / PBR/99

हरिश्चन्द्र पुत्र श्री उदयभान यादव निवासी ग्राम आमो तहसील देवसर जिला सीधी म०प्र० -- अपीलार्थी

विरुद्ध

श्री रामपणि पुत्र श्री वासुदेव यादव निवासी ग्राम आमो तहसील देवसर जिला सीधी (म०प्र० शासन -- प्रतिप्रार्थीगण

अपील विरुद्ध आदेश अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर दिनांक १६-११-९८ धारा ४४ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९ प्रकरण ६०।९२-९३। अपील

श्रीमान

अपील का आवेदन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

१, यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त महोदय की आज्ञा कानून सही नहीं है।

२, यह कि प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रकरण के स्वरूप एवं कानून स्थिति को सही नहीं समझा।

३, यह कि अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य पर विचार नहीं किया।

४, यह कि यदि अपर आयुक्त महोदय के मत में प्रकरण मे विधिवत जांच नहीं हुइ थी तो प्रकरण जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए।

५, यह कि अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के पालन में ली गई साक्ष्य पर भी ना समुचित विचार किया गया और ना ही उसका अर्थ सही लगाया गया

६, यह कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुमान के आधार पर आदेश पारित करने में भूल की गई है।

अतएव अपील का यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रारम्भिक न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाए।

दिनांक २६-२-९९

हरिश्चन्द्र पुत्र उदयभान निवासी आमो तहसील देवसर जिला सीधी -- अपीलार्थी

द्वारा अभिभाषक

(ए०के०अवस्थी)

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 367–पीबीआर/99 जिला–सीधी

| स्थान दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21 – 09–16 | अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। अनावेदक पूर्व से ही एकपक्षीय है।<br>2/ अपीालर्थी के अभिभाषक ने अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के प्र0क्र0 90/92–93/अपील में पारित आदेश दिनांक 19.11.98 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।<br>3/ प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । अपीलार्थी ने अपने तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है। यदि अपर बन्दोबस्त आयुक्त के मत में प्रकरण में विधिवत जाचं नहीं हुई थी जो प्रकरण जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था । अपर कलेक्टर के आदेश के पालन में ली गई साक्ष्य पर भी ना समुचित विचार किया गया और ना ही उसका अर्थ सही लगाया गया । सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही आदेश पारित किया गया है, जो कि अनुचित है ।<br>4/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किये जाने के पूर्व अपर कलेक्टर बैढ़न के न्यायालय में भी यह प्रकरण प्रचलित था । अपर कलेक्टर बैढ़न ने इस प्रकरण में नायब तहसीलदार देवसर को मौके पर भेजकर जांच कराई थी। अधीनस्थ न्यायालय की नस्ती में पृष्ठ क्रमांक 36–38 पर संलग्न है। इस प्रतिवेदन को | |

लिखे जाने के पूर्व नायब तहसीलदार ने पटवारी से मौके पर रिपोर्ट ली गई है व साक्ष्यों को अंकित किया है । स्थल निरीक्षण भी किया गया है, परन्तु बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा इन अभिलेखों का आदेश पारित करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। बन्दोबस्त अधिकारी ने राजस्व निरीक्षक के लिस प्रतिवेदन पर आदेश पारित किये है उस प्रतिवेदन के साथ संलग्न मौके का पंचनामा प्रथम दृष्टया ही विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । उसको देखने से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 513, 514, 515, 516, 517, 527, 511, एवं 69 की जांच की गई तथा वाक्य बाद में लिखा गया है । ऐसी स्थिति में उस पर पूर्ण विश्वास कर आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न नायब तहसीलदार देवसर का राजस्व प्रकरण क्रमांक 10/अ–74/88–89 दिनांक 12.09.89 विश्वसनीय है व न्यायालीन अधिकार क्षेत्र के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर सम्यक आदेश पारित किया जाना उचित होगा । उक्त भूमियों का अंकन किये जाने से मौके पर कब्जे की स्थिति के अनुसार अभिलेख सही किये जाने का आदेश अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर द्वारा दिनांक 19.11.98 को पारित गया । अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर ने जो आदेश पारित किया है वह उचित हैं । मैं अपर बन्दोबस्त आयुक्त ग्वालियर के इस आदेश से सहमत हूँ । अतः इसी आधार पर अपील अस्वीकार की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाता है। रिकॉर्ड दाखिल हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य